

**मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त, होशंगाबाद म.प्र. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम-सुपलई भाग-4 को विस्थापित किया जाकर होशंगाबाद (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र-सोहागपुर, वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-273 के अंतर्गत 79.939 हेक्टेयर वनभूमि में ग्रामीणों की सहमती उपरान्त वनग्राम-सुपलई भाग-4 की बसाहट हेतु वनभूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित वनभूमि का मेरे द्वारा दिनांक: 14.7.21 को स्थल निरीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1	सीमा (हेक्टेयर में)	संलग्न प्रस्ताव अनुसार 79.939 हेक्टेयर वनभूमि
2	वनभूमि का स्थान (अक्षांस, देशांस डायवर्शन के लिये प्रस्ताव लिखा)	PF 273 N 22° 39' 25.2" E 78° 6' 47.88"  N 22° 39' 15.48" E 78° 6' 47.88" उक्तानुसार मानचित्र पर संलग्न है।
3	वनभूमि संरक्षित/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि/या अन्य किसी वनभूमि की कानूनी स्थिति	परिक्षेत्र-सोहागपुर, वनखण्ड-डूडादेह, बीट-पथरई, वन कक्ष पी.एफ.-273
4	अस्थाई केनरर्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	क्षेत्र का सीमांकन किया गया।
5	अतिक्रमण के कोई भी लक्षण	कोई अतिक्रमण नहीं
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता संस्था द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कर लिया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने के मामले में उपयोगकर्ता संस्था के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।
7	वनस्पति की स्थिति, साईट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	वन कक्ष पी.एफ.-273 क्षेत्र में तिनसा, बीजा, हल्दू एवं शीशम आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। उपरोक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 है।
8	वन्यजीव की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व, वन्य जीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की बहुतायत, स्तरीय जीवन सरीसृप, तितलियां और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः वन्यजीव) इस क्षेत्र वन्यजीवों की कोई भी नवीनतम जनगणना।	प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी विलुप्तप्रायः वन्यजीव की उपस्थिति अथवा नवीन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।
9	वनस्पति पशुवर या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थिक तंत्र की स्थानिकता	कुछ नहीं
10	वर्तमान भूमि उपयोग इस क्षेत्र में कार्य करने में कामियाब रहे तो कार्य-आयोजना के नुस्खे आदि नहीं क्यों	प्रचलित कार्य-आयोजना में निहित प्रावधान अनुसार उपचार नियमों के तहत समय-समय पर कार्य किये जाते हैं।
11	ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व	कोई नहीं।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति या परिवार की निर्भता	कोई नहीं
13	व्यक्तियों के व्यवस्थापन का प्रस्ताव	कोई नहीं।

14	वहां किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी की भी असहमति आवाज है?	कोई प्रकरण प्रकास में नहीं आया
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपर्युक्तता का स्थान अगर बिगड़े वनभूमि में है तो नजदीकी वन क्षेत्र से दूरी।	कोई नहीं।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके अलावा नजदीकी संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. की दूरी होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है?	कोई नहीं।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयुक्तता।	उक्त परियोजना से सतपुडा टाइगर रिजर्व को 113.310 हेक्टेयर वनक्षेत्र की उपलब्धता होगी जिससे जंगली जानवर/वन्यप्राणियों के रहवास की व्यवस्था हो सकेगी।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत किये आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं	प्रस्तावित नवीनीकरण का प्रकरण नहीं है। बसाहट हेतु प्रस्तावित है।
20	गैर साईट विशिष्ट परियोजना के मामले में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा जांच विकल्प	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रमाण-पत्र	अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईस	फलदार वृक्षों एवं आस्था से संबंधित वृक्षों, सडक किनारे स्थित वृक्षों को बचाया जावेगा।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे	कोई नहीं।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट सिफारिसें	सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम-सुपलई भाग-4 को होशंगाबाद (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र सोहागपुर के वन कक्ष पी.एफ.-273 के 79.939 हेक्टेयर में बसाहट हेतु, ग्राम वासियों को वनभूमि उपयोग में दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(आर.पी.राय)  
मुख्य वन संरक्षक  
होशंगाबाद

**मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त, होशंगाबाद म.प्र. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम-सुपलई को विस्थापित किया जाकर होशंगाबाद (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र-सोहागपुर, वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-225 के अंतर्गत 100.00 हेक्टेयर वनभूमि में ग्रामीणों की सहमती उपरान्त वनग्राम-सुपलई भाग-III की बसाहट हेतु वनभूमि प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित वनभूमि का मेरे द्वारा दिनांक 11.5.21 को स्थल निरीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विवरण	मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1	सीमा (हेक्टेयर में)	संलग्न प्रस्ताव अनुसार 100.00 हेक्टेयर वनभूमि
2	वनभूमि का स्थान (अक्षांस, देशांस डायवर्शन के लिये प्रस्ताव लिखा)	<b>RF 225 Part-1</b> N 22° 37' 43.12" E 77° 59' 34.58"  N 22° 37' 17.96" E 77° 59' 20.33"  <b>RF 225 Part-2</b> N 22° 37' 43.31" E 77° 59' 22.40"  N 22° 37' 18.25" E 77° 59' 18.22" उक्तानुसार मानचित्र पर संलग्न हैं।
3	वनभूमि संरक्षित/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि/या अन्य किसी वनभूमि की कानूनी स्थिति	परिक्षेत्र-सोहागपुर, वनखण्ड-बागडा, बीट-उत्तर बागडा, वन कक्ष आर.एफ.-225
4	अस्थाई केनरर्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	क्षेत्र का सीमांकन किया गया।
5	अतिक्रमण के कोई भी लक्षण	कोई अतिक्रमण नहीं
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता संस्था द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कर लिया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने के मामले में उपयोगकर्ता संस्था के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया हैं।
7	वनस्पति की स्थिति, साईट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचाना आदि	वन कक्ष आर.एफ.-193 क्षेत्र में टीक, तिन्सा, बीजा, हल्दू एवं शीशम आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। उपरोक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.5 हैं।
8	वन्यजीव की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व, वन्य जीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की बहुतायत, स्तरीय जीवन सरीसृप, तितलियां और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः वन्यजीव) इस क्षेत्र वन्यजीवों की कोई भी नवीनतम जनगणना।	वन्यजीव की दृष्टि से क्षेत्र वन्यप्राणियों के निवास हेतु उत्तम स्थान हैं, यहां भालू एवं हिरण देखे गये हैं। प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी विलुप्तप्रायः वन्यजीव की उपस्थिति अथवा नवीन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई हैं।
9	वनस्पति पशुवर या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थिक तंत्र की स्थानिकता	कुछ नहीं
10	वर्तमान भूमि उपयोग इस क्षेत्र में कार्य करने में कामियाब रहे तो कार्य-आयोजना के नुस्खे आदि नहीं क्यो	प्रचलित कार्य-आयोजना में निहित प्रावधान अनुसार उपचार नियमों के तहत समय-समय पर कार्य किये जाते हैं।

11	ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व	कोई नहीं।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति या परिवार की निर्भता	कोई नहीं
13	व्यक्तियों के व्यवस्थापन का प्रस्ताव	कोई नहीं।
14	वहां किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी की भी असहमति आवाज है?	कोई प्रकरण प्रकास में नहीं आया
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान अगर बिगड़े वनभूमि में है तो नजदीकी वन क्षेत्र से दूरी।	कोई नहीं।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके अलावा नजदीकी संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. की दूरी होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है?	कोई नहीं।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयुक्तता।	उक्त परियोजना से सतपुडा टाइगर रिजर्व को 113.310 हेक्टेयर वनक्षेत्र की उपलब्धता होगी जिससे जंगली जानवरों के रहवास की व्यवस्था हो सकेगी।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत किये आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं	प्रस्तावित नवीनीकरण का प्रकरण नहीं है। बसाहट हेतु प्रस्तावित है।
20	गैर साईट विशिष्ट परियोजना के मामले में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा जांच विकल्प	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रमाण-पत्र	अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईस	फलदार वृक्ष एवं आस्था से संबंधित वृक्ष, सडक किनारे स्थित वृक्षों को बचाया जावेगा।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे	कोई नहीं।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट सिफारिस	सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के अंतर्गत अभ्यारण्य-बोरी में स्थित वनग्राम-सुपलई को होशंगाबाद (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र सोहागपुर के वन कक्ष आर.एफ.-225 के 100.00 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ग्राम-सुपलई भाग-III की बसाहट हेतु ग्राम वासियों को वनभूमि उपयोग में दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(आर.पी.राय)

मुख्य वन संरक्षक  
होशंगाबाद

**मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त, होशंगाबाद म.प्र. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद द्वारा सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बारी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम-सुपलई भाग-2 से विस्थापित किया जाकर होशंगाबाद वनमण्डल के परिक्षेत्र इटारसी वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-179 के अंतर्गत 50.00 हेक्टेयर भूमि में ग्रामीणों की सहमति उपरान्त बसाहट भूमि प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित वनभूमि का मेरे द्वारा दिनांक 01-03-2021 को स्थल परीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार हैं

क्र.	विवरण	मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1	सीमा (हेक्टेयर में)	संलग्न प्रस्ताव अनुसार 50.00 हेक्टेयर वनभूमि
2	वनभूमि का स्थान (अक्षांस, देशांस डायवर्शन के लिये प्रस्ताव लिखा)	प्रस्ताव संलग्न हैं। N 22° 29' 51.95" E 77° 41' 33.25"  N 22° 29' 48.82" E 77° 41' 33.68"
3	वनभूमि संरक्षित/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि/या अन्य किसी वनभूमि की कानूनी स्थिति	परिक्षेत्र इटारसी, वनखण्ड खोरी, बीट-टांगना, संरक्षित वन कक्ष पी.एफ.-179
4	अस्थाई केनरर्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	आवेदक संस्थान एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया।
5	अतिक्रमण के कोई भी लक्षण	कोई अतिक्रमण नहीं
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता संस्था द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कर लिया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने के मामले में उपयोगकर्ता संस्था के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया हैं।
7	वनस्पति की स्थिति, साईट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	वन कक्ष पी.एफ.-179 क्षेत्र में सागौन, साजा, तेंदू, हल्दू आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। उपरोक्त क्षेत्र घनत्व 0.3 से 0.4 हैं।
8	वन्य जीव की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति, वन्य जीवों की बहुतायत की स्थिति	प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यप्राणी की गणना अनुसार सुअर, सियार, खरगोस, बारह सिंगा, हिरण आदि वन्यप्राणियों की प्रजाति पाई जाती हैं।
9	वनस्पति पशुवर या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थिक तंत्र की स्थानिकता	कुछ नहीं
10	वर्तमान भूमि उपयोग इस क्षेत्र में कार्य करने में कमियाब रहे तो कार्य-आयोजना के नुस्खे आदि नहीं क्यो	प्रचलित कार्य-आयोजना के अनुसार उपचार अनुसार, उपचार नियमों के तहत समय-समय पर कार्य किये जाते हैं।
11	ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व	कोई नहीं।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति या परिवार का निर्भता	कोई नहीं
13	व्यक्तियों के व्यवस्थापन का प्रस्ताव	कोई नहीं।

14	वहां किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी की भी असहमति आवाज है?	असहमति की आवाज प्रकाश में नहीं आई।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान अगर बिगड़े वनभूमि में है तो नजदीकी वन क्षेत्र से दूरी।	कोई नहीं।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके अलावा नजदीकी संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. की दूरी होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है?	प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वन क्षेत्र में वन अधिकार की मान्यता दी गई है।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयुक्तता।	रहवास की व्यस्था।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत किये आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं	प्रस्तावित नवीनीकरण का प्रकरण नहीं है। बसाहट हेतु प्रस्तावित है।
20	गैर साईट विष्टि परियोजना के मामले में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा जांच विकल्प	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रमाण-पत्र	अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को अचाने की कोई गुंजाईस	फलदार, सडक किनारे अथवा धार्मिक स्थल पर स्थिति वृक्षों को बचाया जायेगा।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे	कोई नहीं।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक की विष्टि सिफारिसें	सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के अंदर बोरी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम सुपलई को, ग्राम सुपलई पार्ट-2 होशंगाबाद वनमण्डल के बोरी परिक्षेत्र के वन कक्ष पी.एफ.-179 के 50.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ग्राम वासियों को वनभूमि उपयोग में दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(आर.पी.राय)  
मुख्य वन संरक्षक  
होशंगाबाद

**मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त, होशंगाबाद म.प्र. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद द्वारा सतपुडा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बारी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम-सुपलई भाग-1 से विस्थापित किया जाकर होशंगाबाद वनमण्डल के परिक्षेत्र-इटारसी वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-174 के अंतर्गत 110.00 हेक्टेयर भूमि में ग्रामीणों की सहमती उपरान्त बसाहट हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित वनभूमि का मेरे द्वारा दिनांक 01-03-2021 को स्थल निरीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट
1	सीमा (हेक्टेयर में)	संलग्न प्रस्ताव अनुसार 110.00 हेक्टेयर वनभूमि
2	वनभूमि का स्थान (अक्षांस, देशांस डायवर्शन के लिये प्रस्ताव लिखा)	प्रस्ताव संलग्न हैं। N 22° 28' 22.56" E 77° 39' 53.65"  N 22° 28' 12.72" E 77° 40' 12.34" उक्तानुसार मानचित्र पर संलग्न हैं।
3	वनभूमि संरक्षित/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि/या अन्य किसी वनभूमि की कानूनी स्थिति	परिक्षेत्र इटारसी, वनखण्ड खोरी, बीट-गोलनडोह, वन कक्ष पी.एफ.-174
4	अस्थाई केनरर्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	आवेदक संस्थान एवं वन कर्मचारीयों के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया।
5	अतिक्रमण के कोई भी लक्षण	कोई अतिक्रमण नहीं
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता संस्था द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कर लिया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने के मामले में उपयोगकर्ता संस्था के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता संस्था द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।
7	वनस्पति की स्थिति, साईट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	वन कक्ष पी.एफ.-174 क्षेत्र में टीक, साजा, धावडा एवं तेंदू आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। उपरोक्त क्षेत्र घनत्व 0.5 से 0.6 हैं।
8	वन्य जीव की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति, वन्य जीवों की बहुतायत की स्थिति	प्रस्तावित क्षेत्र में प्रायः किसी लुप्त वन्य जीव के होने की सूचना नहीं है।
9	वनस्पति पशुवर या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थिक तंत्र की स्थानिकता	कुछ नहीं
10	वर्तमान भूमि उपयोग इस क्षेत्र में कार्य करने में कमियाब रहे तो कार्य-आयोजना के नुस्खे आदि नहीं क्यो	प्रचलित कार्य-आयोजना में निहित प्रावधान अनुसार उपचार नियमों के तहत समय-समय पर कार्य किये जाते हैं।
11	ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व	कोई नहीं।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्ति या परिवार का निर्भता	कोई नहीं
13	व्यक्तियों के व्यवस्थापन का प्रस्ताव	कोई नहीं।
14	वहां किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिय वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी की भी असहमति आवाज है?	कोई प्रकरण प्रकास में नहीं आया

15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर हैं। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपर्युक्तता का स्थान अगर बिगड़े वनभूमि में हैं तो नजदीकी वन क्षेत्र से दूरी।	कोई नहीं।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके अलावा नजदीकी संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. की दूरी होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं। दूरी 10 कि.मी. से अधिक हैं।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है?	कोई नहीं।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयुक्तता।	रहवास की व्यस्था।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत किये आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं	प्रस्तावित नवीनीकरण का प्रकरण नहीं हैं। बसाहट हेतु प्रस्तावित हैं।
20	गैर साईट विष्टि परियोजना के मामले में उपयोगकर्ता संस्था द्वारा जांच विकल्प	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना हैं।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया हैं। उपयोगकर्ता द्वारा इसका प्रमाण-पत्र	अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को अचाने की कोई गुंजाईस	फलदार वृक्ष एवं आस्था संबंधित वृक्ष, सडक किनारे स्थित वृक्षों को बचाया जायेगा।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे	कोई नहीं।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक की विष्टि सिफारिसें	सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के अंदर अभ्यारण्य बोरी में स्थित वनग्रामा सुपलई भाग-1 होशंगाबाद वनमण्डल के परिक्षेत्र इटारसी के वन कक्ष पी.एफ.-174 के 110.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ग्राम वासियों को वनभूमि उपयोग में दिये जाने की अनुशंसा की जाती हैं।

(आं.पी.सय)  
मुख्य वन संरक्षक  
होशंगाबाद